न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

मु0न0 16/2022 दिनांक:– 12.01.2022

पीठासीन अधिकारी:– पूजा मीना आर.ए.एस

उनवान

1. रघुवीरसिंह पुत्र रूढसिंह राजपूत
2. विद्या देवी पत्नि रघुवीरसिंह राजपूत

निवासी दांतली तहसील टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी।

(वादी)

बनाम

1. बलवीर सिंह पुत्र रूढसिंह राजपूत
2. दलवीर सिंह पुत्र रूढसिंह राजपूत
3. महावीर सिंह पुत्र रूढसिह राजपूत
4. रणधीर सिंह पुत्र रूढसिंह राजपूत
5. बलवीर सिंह दत्तक पुत्र बालसिंह राजपूत
6. परभात्या पुत्र सुमला बैरवा
7. रामकिशन पुत्र सुमला बैरवा (मृतक)
   7/1 प्यारेलाल पुत्र रामकिशन
   7/2 नरेश पुत्र रामकिशन
   7/3 बीना देवी पुत्री रामकिशन
   7/4 ललिता देवी पुत्र रामकिशन
   7/5 पारा देवी पत्नि रामकिशन
8. गीता पुत्री किशोरी लाल
9. जगदीश पुत्र किशोरी लाल
10. नानगी देवी पत्नि किशोरीलाल
11. बुधराम पुत्र किशोरी लाल
12. माया पुत्री किशोरी लाल
13. विनोद पुत्र किशोरी लाल
14. श्रवण लाल पुत्र सुखराम

    समस्त जातियान बैरवा निवासी दांतली तहसील टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी।
15. बडौदा राजस्थान क्षेत्रिय ग्रामीण बैक मेहन्दीपुर बालाजी
16. पंजाब नेशनल बैक शाखा मीना सीमला तहसील सिकराय
17. तहसीलदार टोडाभीम।
18. मिथलेश कंवर पत्नि महावीरसिंह जाति राजपूत निवासी दांतली तहसील टोडाभीम।

(प्रतिवादीगण)

दावा बावत तकास्मा व स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थिति:– श्री हंसराम गूज[illegible]

श्री गौरीशंकर गुर्जर एडवोकेट [illegible]0 1 ता 4

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.09.25 16:40:18 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय दिनांक 31/7/2025

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र का संक्षेप मे विव[illegible] इस प्रकार है कि ग्राम [illegible] की आराजी ख0न0 590/0.34, 592/0.51, 593/0.73, 594/0.33, 595/0.98 कुल किता 5 कुल रकवा 2.98 है0 मे वादी न0 1 रघुवीरसिंह हिस्सा 2/25, वादीया न0 2 विद्यादेवी हिस्सा 2/25 की

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

खातेदार काश्तकार दर्ज है। बकिया हिस्से के प्रतिवादी न0 1 ता 7 मुताबिक जमाबन्दी मे दर्ज हिस्सानुसार खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। ख0न0 586/0.40, 588/0.45 कुल किता 2 कुल रकबा 0.85 है0 मे वादी न0 1 रघुवीरसिंह हिस्सा 2/25, तथा वादिया न0 2 विद्यादेवी हिस्सा 2/75 की खातेदार काश्तकार है बकिया हिस्से के प्रतिवादी न0 1 ता 14 खातेदार काश्तकार है। ख0न0 587/ 0.01, 591/0.01 कुल किता 2 कुल रकबा 0.02 है0 मे वादी न0 1 रघुवीरसिंह हिस्सा 16/225 का खातेदार काश्तकार है। बकिया हिस्से के प्रतिवादी न0 1 ता 7 मुताबिक जमाबन्दी मे दर्ज हिस्सानुसार खातेदार काश्तकार है। ख0न0 589 रकबा 0.60 है0 मे वादी न0 1 रघुवीरसिंह हिस्सा 2/25, तथा वादीया विद्या देवी हिस्सा 4/75 की खातेदार काश्तकार है जो हाल राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है बकिया हिस्से के प्रतिवादी न0 1 ता 14 व 18 खातेदार काश्तकार है। उक्त वर्णित आराजीयात का मौके पर बहामी बटवारा कर रखा है परन्तु उक्त भूमि का आज दिन तक बटवारा नही हुआ है। खातेदारान अपने–अपने हिस्से पर काबिज काश्त है।

बाका दिनांक 10.01.2022 को वादीगण ने प्रतिवादी न0 1 ता 14 से कहा कि अपनी भूमि का विधिवत बटवारा नही हुआ है। तहसील मे चलकर विधिवत बटवारा करवा लेते है, तो प्रतिवादीगण नाराज हो गये और विधिवत बटवारा कराने से इंकार कर दिया और कहा कि तेरी मर्जी हो सो कर हम विधिवत बटवारा नही करायेगे। इसलिये यह वादपत्र पेश करना आवश्यक हुआ है।

अतः दावा वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण बावत् तकास्मा तहसीलदार टोडाभीम को बटवारा कमिश्नर नियुक्त किया जाकर ग्राम दांतली की आराजी ख0न0 590/0.34, 592/0.51, 593/0.73, 594/0.33, 595/0.98, 586/0.40, 588/0.45, 587/ 0.01, 591/0.01, 589/0.60 है0 की बटवारा स्कीम तलब फरमाई जावे तथा बाद जॉच बटवारा स्कीम फाईनल डिक्री किया जावे। तथा वादी के हिस्से व कब्जे काश्त मे रूकावट नही करे तथा रहन व्यय नही करे व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे। वादी को अपने हिस्से की आराजी मे शांतिपूर्वक काश्त करने देवे।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी न0 17 तहसीलदार टोडाभीम उपस्थित, प्रतिवादी न0 6,8 ता 14 ने जरिये वकालतन उपस्थिति दर्ज करवाई लेकिन दिनांक 15.05.2024 को हिदायत पैरवी नही करने का कथन करते हुये आदेशिका पर हस्ताक्षर किये तदुपरान्त प्रतिवादी न0 6, 8 ता 14 को पुनः कोर्ट नोटिस जारी किये गये, लेकिन प्रतिवादी न0 6, 8 ता 14 बावजूद सूचना अनुपस्थित न्यायालय रहने से इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी न0 1 ता 4 ने जरिये वकालतन काउन्टर क्लेम जवाब इस प्रकार पेश किया कि वादपत्र मे वर्णित आराजीयात सिचाई हेतु हम पॉचो भाई वादी व प्रतिवादी न0 1 ता 4 के बराबर की पूजी लगाकर ट्यूबवैल करवा रखी है जिससे हम पाचो भाईयो की भूमि सिचाई होती है। अतः जवाब दावा व काउन्टर क्लेम पेश कर अर्ज है कि वादपत्र मे वर्णित भूमि वादी/प्रतिवादी न0 1 ता 4 का मुताबिक खातेदारी व मुताबिक कब्जा बटवारा किया जावे।

उभयपक्ष वकील की बहस सुनी गई। वादीगण वकील ने वादपत्र मे वर्णित तथ्यो का दोहरान करते हुये कथन किया कि वादपत्र मे वर्णित आराजीयात ग्राम दांतली मे वादीगण जमाबन्दी मे दर्ज हिस्सानुसार खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड [illegible] हिस्से के प्रतिवादी न0 1 ता 4 खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। वादपत्र मे वर्णित आराजीयात का मौके पर बहामी बटवारा कर रखा है परन्तु उक्त भूमि का आज दिन तक बटवारा नही हुआ है। खातेदारान अपने–अपने हिस्से पर काबिज काश्त है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.09.25 16:40:13 IST
Reason: SelfAttested

अतः दावा वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण बावत् तकास्मा तहसीलदार टोडाभीम को बटवारा कमिश्नर नियुक्त किया जाकर वादपत्र मे वर्णित आराजीयात की बटवारा स्कीम तलब फरमाई जावे तथा बाद जॉच बटवारा स्कीम फाईनल डिक्री किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

प्रतिवादीगण वकील ने जबाब प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो का दोहरान करते हुये कथन किया कि वादपत्र मे वर्णित आराजीयात सिचाई हेतु हम पॉचो भाई वादी व प्रतिवादी न0 1 ता 4 के बराबर की पूजी लगाकर ट्यूबबैल करवा रखी है जिससे हम पाचो भाईयो की भूमि सिचाई होती है। अतः जबाब दावा व काउन्टर क्लेम पेश कर अर्ज है कि वादपत्र मे वर्णित भूमि वादी/प्रतिवादी न0 1 ता 4 का मुताबिक खातेदारी व मुताबिक कब्जा बटवारा किया जावे।

उभयपक्ष वकील की बहस पर मनन किया पत्रावली मे शामिल दस्तावेजो का अवलोकन किया। पत्रावली मे शामिल ग्राम दांतली की जमाबन्दी सम्वत 2076—79 के आराजी ख0न0 590/0.34, 592/0.51, 593/0.73, 594/0.33, 595/0.98 कुल किता 5 कुल रकवा 2.98 है0 मे वादी न0 1 रधुवीरसिंह हिस्सा 2/25, वादीया न0 2 विद्यादेवी हिस्सा 2/25 की खातेदार काश्तकार दर्ज है। बकिया हिस्से के प्रतिवादी न0 1 ता 7 मुताबिक जमाबन्दी मे दर्ज हिस्सानुसार खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। ख0न0 586/0.40, 588/0.45 कुल किता 2 कुल रकवा 0.85 है0 मे वादी न0 1 रधुवीरसिंह हिस्सा 2/25, तथा वादिया न0 2 विद्यादेवी हिस्सा 2/75 की खातेदार काश्तकार है बकिया हिस्से के प्रतिवादी न0 1 ता 14 खातेदार काश्तकार है। ख0न0 587/ 0.01, 591/0.01 कुल किता 2 कुल रकवा 0.02 है0 मे वादी न0 1 रधुवीरसिंह हिस्सा 16/225 का खातेदार काश्तकार है, ख0न0 589 रकवा 0.60 है0 मे वादी न0 1 रधुवीरसिंह हिस्सा 2/25, तथा वादीया न0 2 विद्या देवी हिस्सा 4/75 की खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। बकिया हिस्से मे प्रतिवादी न0 1 ता 14 व 18 खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। उभयपक्षकारान वकील ने अपनी बहस मे मुताबिक रिकार्ड व कब्जे काश्त अनुसार दावा प्राथमिक डिक्री किये जाने का कथन किया है, जिसकी सहमति स्वरूप उभयपक्षवकील ने आदेशिका पर हस्ताक्षर किये जाने से वादीगण का दावा व प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री किया जाता है।

उभयपक्ष वकील वकील की बहस पर मनन करते हुये पत्रावली मे शामिल दस्तावेजो, के आधार पर प्राथमिक डिक्री जारी की। तहसीलदार टोडाभीम द्वारा प्रस्तुत बटवारा स्कीम का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत बटवारा स्कीम के अवलोकन से स्पष्ट है कि विभाजन स्कीम रिकार्ड मे दर्ज हिस्सानुसार व कब्जेनुसार तैयार की गई है। तथा वादी तथा वकील प्रतिवादी ने भी अपनी बहस मे भी कथन किया है कि तहसीलदार टोडाभीम द्वारा प्रस्तुत बटवारा स्कीम अनुसार दावा फाईनल डिक्री कर दिया जावे। अतः वादपत्र मे वर्णित आराजीयात ग्राम दांतली मे बटवारा स्कीम के अनुसार दावा निम्नानुसार फाईनल डिक्री किया जाता है।

क0स0	नाम खातेदार काश्तकार	ख0न0	रकवा
1	परभात्या पुत्र सुमला हि0 434/11800, श्रवनलाल पुत्र सुखराम हि0 1558/11800 प्यारे लाल पुत्र रामकिशन हि0 868/11800 नरेश पुत्र रामकिशन हि0 868/11800, बीना पुत्री रामकिशन हि0 868/11800, ललिता पुत्री रामकिशन हि0 868/11800, पारा देवी पत्नि रामकिशन हि0 868/11800, जगदीश पुत्र किशोरी लाल हि0 26/1180, बुधराम पुत्र किशोरी लाल हि0 26/1180, विनोद पुत्र किशोरी लाल हि0 26/1180, नानग[illegible] लाल हि0 26/1180, गीता पुत्री किशोरी लाल [illegible] 26/1180, माया पुत्री किशोरी हि0 26[illegible] सा0 देह	586	0.40 है0
		588	0.45 है0
		587	0.01 है0
		589	0.32 है0
		कुल किता 4	कुल रकवा 1.18 है0
2	दलवीर सिंह पुत्र रूडसिंह हि0 1/5, बलवीर सिंह पुत्र रूडसिंह हि0 1/5, महावीरसिंह पुत्र रूडसिंह हि0 1/[illegible] रघुवीरसिंह पुत्र रूडसिंह हि0 1/5, रणधीरसिंह पुत्र रूडसिंह हि0 1/5 जाति राजपूत सा0 देह	591	0.01 है0

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.09.25 16:40:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

3	दलवीर सिंह पुत्र रूडसिंह हि0 3484 / 31700, बलवीर सिंह पुत्र रूडसिंह हि0 3484 / 31700, महावीरसिंह पुत्र रूडसिंह हि0 3484 / 31700, मिथलेश कंवर पत्नि महावीर सिंह 8576 / 31700, रघुवीरसिंह पुत्र रूडसिंह हि0 3484 / 31700, विधा देवी पत्नि रघुवीरसिंह हि0 2864 / 31700, रणधीरसिंह पुत्र रूडसिंह हि0 6324 / 31700 जाति राजपूत सा0 देह राहिन रघुवीरसिंह पुत्र रूडसिंह हि0 1284 / 31700, विधादेवी पत्नि रघुवीरसिंह हि0 2312 / 31700 राहिन पंजाब नेशनल बैंक शाखा मीना सीमला	589 / 1	0.28 है0
		590	0.34 है0
		292	0.51 है0
		293	0.73 है0
		294	0.33 है0
		295	0.98 है0
		कुल किता 6	कुल रकवा 3.17 है0

उक्त सूची अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। नक्शा ट्रेस की प्रति निर्णय के साथ सलग्न रहेगी। उभयपक्ष को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि एक—दूसरे के कब्जे काश्त मे मजाहमत मदाखलत नही करे। फाईनल डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 31/07/2025 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

(पूजा मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम जिला करौली

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.09.25 16:40:18 IST
Reason: SelfAttested